न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 336/2018 जीसीएमएस संख्या 2018/00221

1. वेदप्रकाश यादव,
2. पदम यादव,
3. टीकम यादव पुत्रान रतिराम, जाति यादव, निवासी उमेरण, तहसील व जिला अलवर
4. हेमन्त,
5. लाखन सिंह पुत्रान फूलसिंह, जाति यादव, श्नवासी उमरेण, तहसील व जिला अलवर ।

– **अपीलांटस**

बनाम

1. धन्नो पत्नि स्वर्गीय श्री हरियाराम, जाति यादव, निवासी उमरेण, तहसील व जिला अलवर
2. सीमा,
3. ललिता पुत्रीयान स्वर्गीय श्री हरियाराम, जाति यादव, निवासी उमरेण, तहसील व जिला अलवर
4. रतिराम,
5. फूलसिंह पुत्रान श्रवण, जाति यादव, निवासी उमरेण, तहसील व जिला अलवर।
6. गीता,
7. भौती पुत्रीयान श्रवण, जाति यादव, निवासी उमरेण, तहसील व जिला अलवर।
8. मन्नु पुत्र कमला पत्नि दौलतराम, जाति यादव, उमरेण, तहसील व जिला अलवर।
9. सुम्मा पुत्री कमला पत्नि दौलतराम, जाति यादव, निवासी उमरेण, तहसील व जिला अलवर।
10. निहाली पुत्री कमला पत्नि दौलतराम, जाति यादव, निवासी उमरेण, तहसील व जिला अलवर।

– **रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, अलवर जिसके द्वारा प्रकरण संख्या 24/2017 निर्णय दिनांक 18.07.2018 बाबत् इन्तकाल संख्या 1009 ग्राम उमरेण, तहसील व जिला अलवर बाबत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए रेस्पोडेन्ट के नाम इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये जो निर्णय गलत व खिलाफ मनशाये कानून व वाकेआत होने से निरस्त किये जाने योग्य है व अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार है।

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड वकील अपीलान्ट
2. श्री राजाराम चौधरी वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 3 की ओर से

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक –04.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 18.07.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि इन्तकाल संख्या 1009 खातेदार श्रवण की विरासत के बाबत ग्राम पंचायत उमरेण में प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् उक्त इन्तकाल को तहसीलदार अलवर द्वारा तलब कर कार्यवाही किये जाने अपीलान्टान ने तहसीलदार, अलवर के समक्ष दिनांक 11.04.2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतक श्रवण हमारे बाबा लगते थे और जिनके द्वारा दिनांक 01.06.2015 को हम अपीलान्टान के नाम एक वसीयत विवादित आराजी की गई है तथा आराजी मुतनाजा पर हम अपीलान्टान का कब्जा वसीयत के मुताबिक मौके पर है। इसलिए श्रवण की विरासत का इन्तकाल हम अपीलान्टान के नाम दर्ज व तस्दीक किया जावे । तहसीलदार साहब ने दोनो पक्षो को सुनकर अपीलान्टास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रकरण में मृतक सरवण पुत्र पुरिया जाति अहिर के नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि का नामा० उन्हके समस्त जायजं वारिसानो के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 18.07. 2018 को दिये गये।

3. तहसीलदार अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 18.07.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वेदप्रकाश यादव वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 18.07.2018 निरस्त कर इन्तकाल संख्या 1009 को वसीयत के आधार पर अपीलांट्स के नाम स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । रेस्पो0 संख्या 4 से 10 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट के बाबा श्री श्रवण यादव पुत्र पूरिया यादव निवासी उमरैण ने अपने जीवनकाल में अपनी आराजी की एक वसीयत नोटेरी रजिस्टर्ड नंबर 945 दिनांक 01.06. 2015 को की है। वसीयत अनुसार मृतक श्रवण ने आराजी खसरा नं० 298, 1381, 1551, 527 का 1/2 भाग तरफ दक्षिण व 528 जिसमें बोरिंग, खसरा नं० 323 रकबा 0.57 है० का 1/2 हिस्से में लगी हुई है का तरफ पूर्वी भाग व खसरा नं0 1149 में 1/2 की वसीयत अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में की गई है। इसी प्रकार खसरा नं0 295, 1176, 1251, 1539, 1540, 323 का 1/2 भाग तरफ पश्चिम व 527 में से 1/2 भाग तरफ उतर व 1538 जिसमें बोरिंग है व 1149 में से 1/2 भाग अपीलान्ट संख्या 4 व 5 के हक में तहरीर व तकमील की है। मिन अपीलान्टान मृतक श्रवण के जीवनकाल से ही उक्त आराजी पर काबिज है और उनकी मृत्यु के पश्चात् हम अपीलान्ट्स वसीयत के आधार पर काबिज व दखिल है। चूंकि नामान्तकरण की कार्यवाही 45 दिन तक करने का ग्राम पंचायत को पूर्ण अधिकार है ओर 45 दिन के पश्चात् तहसीलदार इन्तकाल के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार है। लेकिन उक्त प्रकरण में तहसीलदार ने अलवर द्वारा 45 दिन से पूर्व ही मौजूदा इन्तकाल को तलब कर निर्णय पारीत किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध वास्ता सरोकार नही है और ना कभी उसका कब्जा रहा है। रेस्पोडेन्ट ग्राम उमरेण में नही रहती है बल्कि इमटीपुरा में रहती है। अपीलान्टान के पक्ष में मृतक श्रवण द्वारा की गई वसीयत

संभागीय आयुक्त
जयपुर

के सम्बन्ध में पूर्णतया जांच नही की और तहसीलदार अलवर ने बिना वसीयत को पढे मिन अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि वसीयत अपंजीकृत है। साथ ही उन्होने यह भी दर्ज किया कि आराजी मुतनाजा पैतृक होने के कारण नामान्तकरण दर्ज किया जाना उचित नही है। जबकि कानूनन वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है । प्रस्तुत वसीयत नोटरी रिपब्लिक से तसदीकशुंदा थी और दो गवाहान के हस्ताक्षर भी कराये गये थे इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार अलवर दिनांक 18.07.2018 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम उमरैण की जमाबन्दी संवत 2070—73 के खाता सं0 427 पर सरवण पुत्र पूरिया जाति अहिर सा० देह खातेदार के नाम खसरा नंबर 295/0.09, 298/0.12, 323/0.57, 527/1.47, 528/0.01, 1149/0.39, 1176/0.27, 1251/0.15, 1381/0.30, 1538/0.01, 1539/0.71, 1540/0.13, 1551/0.99 कुल किता 13 रकबा 5.21 है0, व खाता सं0 426 पर सरवण पुत्र पुरिया जाति अहिर हिस्सा 1/2 सा० देह खातेदार के नाम खसरा नंबर 324 रकवा 0.40है. 325 रकबा 0.13 है. 328 रकबा 0.13है. कुल किता 03 रकबा 0.66है. दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार खाता सं0 543 पर सरवण पुत्र पूरिया जाति अहिर सा० देह गैर खातेदार खसरा नंबर 529 रकवा 0.14 है. किस्म चाही 3 दर्ज रिकॉर्ड है। सलंग्न मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार सरवण की मृत्यु दिनांक 07.01.2017 को हो गई है। पटवारी हल्का उमरैण द्वारा सरवण की मृत्यु के पश्चात नियमानुसार उपरोक्त समस्त खसरा नंबरानो का विरासत का नामा0 सं0 1009 दिनांक 17.03.2017 मृतक सरवण के समस्त वारिसान रत्तीराम, फूलसिह पिव सरवण गीतादेवी भौती देवी पुत्रियान सरवण स०भा० हि० 4/6 धन्नो पत्नि स्व० हरिराम सीमा ललता पुत्रियान हरिराम हि० 1 / 6 मन्नूराम पुत्र दौलत राम सुम्मा मिहली पुत्रियान दौलतराम हि0 1/6 जाति अहिर सा. देह के नाम दर्ज किया गया है। उपरोक्त नामा० सं० 1009 का मिलान संबधित भू०अ०नि० भूगोर द्वारा दिनांक 20.03.2017 को किया है । अतः उपरोक्त वर्णित भूमि प्राथीगण के पैतृक भूमि है। अपीलांट का उक्त भूमि से कोई लेना—देना नहीं है। प्रार्थीगण के पूर्वज जीवन पर्यन्त विवादित आराजी पर काबिज रहे। उक्त विवादित भूमि अपीलांट को कभी भी वसीयत नहीं की गई और ना ही अनका काबिज व कब्जा है। तथाकथित वसीयत फर्जी व साजसी है। अरजिस्ट्रर्ड वसीयत के आधार पर अपीलांट को अपील करने का कोई विधिक अधिकार ही नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामपुरा अलवर द्वारा भी सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत मृतक खातेदार श्री श्रवण यादव पुत्र पूरिया यादव के विधिक जायज वारिसान् के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार श्री श्रवण यादव पुत्र पूरिया यादव की विरासत को लेकर है। अपीलांट का कथन है कि ग्राम उमरैण जिल अलवर में स्थित उक्त विवादित आराजी श्री श्रवण यादव पुत्र पूरिया यादव निवासी उमरैण ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत नोटेरी रजिस्टर्ड नंबर 945 दिनांक 01.06.2015 से अपीलांट्स को की है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा स्वयं ने यह कथन किया है कि मृतक खातेदार श्रवण यादव

सदस्य
राजस्व मण्डल
जयपुर,

पुत्र पूरिया यादव ने अरजिस्ट्रर्ड वसीयत से उक्त भूमि अपीलांट के पक्ष में की है एवं इस संबंध में अपीलांट द्वारा कोई पुख्ता दस्तावेज एवं साक्ष्य/सबूत भी पे । नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि उक्त भूमि की वसीयत अपीलांट्स को मृतक खातेदार श्रवण यादव द्वारा वारिसान की सहमति से किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर ने विधिवत् ग्राम पंचायत उमरैण मे प्रासंगिक नामान्तरकरण संख्या 1009 निर्णित नहीं करने की दशा में तलब कर राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 तहत दर्ज कर विधिवत् पटवारी हल्का उमरैण व भू.अ.नि. भूगोर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार अवलोकन कर वारिसान की जॉच पश्चात् ही मृतक खातेदार श्रवण यादव पुत्र पूरिया यादव के विरासत का नामान्तरकरण जायज वारिसान के नाम खोले जाने के आदेश दिये गये हैं जिसके रेस्पोडेण्ट्स विधिक अधिकारी हैं क्योंकि पैतृक भूमि के संबंध में विरासत का नामान्तरकरण कब्जे के आधार पर ना खोला जाकर मृतक खातेदार के जायज वारिसान् के नाम ही खोला जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 18.07.2018 यथावत रखा जाता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ ऋषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त,
जयपुर